आकाशवाणी श्री विजयपुरम

27.10.2024 समय : 1850

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधडी पर चिंता व्यक्त की।

- प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और आयु समूह के व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं और उन्हें भय के चलते लाखों रुपये गंवाने पड़े हैं।

- भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास "सागर कवच का आयोजन किया।

और

- अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय आवास, शहरी और गरीबी उन्मूलन मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधडी को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित और एक जालसाज के बीच हुई बातचीत को भी सुनाया। बातचीत में जालसाज अपने को पुलिस, सी.बी.आई. अथवा नार्कोटिक्स विभाग का अधिकारी बता रहा था। ऐसे जालसाज, पीड़ित से व्यक्तिगत सूचनाएं लेकर भय का माहौल पैदा कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और आयु समूह के व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं और उन्हें भय के चलते लाखों रुपये गंवाने पड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हों। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए तीन उपायों की चर्चा की।

<><><><><><><>

भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास "सागर कवच का आयोजन किया। इस अभ्यास में भारत की तटीय सीमाओं को सुरक्षित रखने में सेना की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। समुद्र और जमीन दोनों पर खतरों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा ढांचे की तत्परता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। इस अभ्यास में अंतर–एजेंसी समन्वय और सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाकर मजबूत तटीय सुरक्षा प्रदान करने में एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला। पच्चीस अक्टूबर को सुबह 0600 बजे से कल शाम 600 बजे तक आयोजित इस अभ्यास ने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ा दिया। सतर्कता और समन्वित कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सभी नकली हमलों को निष्प्रभावी कर दिया गया, जिससे सुरक्षा अंतराल को दूर करने के लिए बहुमूल्य जानकारी मिली। इस सफल अभ्यास ने मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं को मान्य किया और आगे सुधार के लिए क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। अंडमान और निकोबार क्षेत्र के सभी हितधारक इन प्राचीन द्वीपों के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो राष्ट्रीय विकास के लिए सुरक्षा की भूमिका को मजबूत करते हैं। इस अभ्यास में बड़े पैमाने पर अंडमान निकोबार प्रशासन, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, पुलिस विभाग, सीमा शुल्क, मत्स्य विभाग, वन विभाग, बंदरगाह प्रबंधन बोर्ड, शिपिंग सेवा निदेशालय, एस.पी.एल. ब्यूरो, एस.आई.बी., डी.जी.एल.एल., सी.आई.एस.एफ. और आई.एम.एम.जी. सहित अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया।

<><><><><><><>

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की उनतीसवीं बैठक हाल ही में श्रम आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में श्रम और रोजगार सचिव डॉ. अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ग्रामीण विकास सचिव, अण्डमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, एन. एच.डी.सी.एल. के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और श्रम आयुक्त कार्यालय के अधिकारी शामिल थे। बैठक में बोर्ड की विभिन्न स्थिति और विकास से अवगत कराया गया। बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पी.एम.जे.जे.बी.वाई. और पी.एम.एस.बी.वाई. योजनाओं के तहत लाभ बढ़ाने की प्रक्रिया में है। बैठक के दौरान, बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता के विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्ष के साथ–साथ ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि ने नियमित अंतराल पर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित कर द्वीपों के विभिन्न स्थलों पर निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। विचार–विमर्श के बाद, बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत सत्ताईस दावों के विरुद्ध नौ दशमलव आठ दो लाख रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी। बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए नौ कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय आवास, शहरी और गरीबी उन्मूलन मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर श्री विजयपुरम नगर परिषद के डी.आर.एम. के नियमितीकरण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। सभी डी.आर.एम. संगठन के साथ–साथ शहर के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे स्वच्छता कार्य, विद्युत, सड़क कार्य, शवगृह वैन – यांत्रिक, राजस्व आदि के लिए विभिन्न अनुभागों में बीस से अधिक वर्षों की सेवाएं दी है। केन्द्रीय मंत्री ने नियमितीकरण के मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा या नियमितीकरण आदि के मामले में श्रमिक वर्ग की बेहतरी के लिए सभी मामले मंत्रालय के समक्ष रखें गए।

<><><><><><><>

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड –सीबीडीटी ने कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आंकलन वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अंतिम तिथि इक्कतीस अक्तूबर से बढ़ाकर पन्द्रह नवंबर कर दी गई है।

<><><><><><><>